29.6.15

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट अभियान मु. नरवाल पर पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से प्रकरण कैम्प कोर्ट में लिया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 खातेदार काश्तकार है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है. फिर भी वादी एवं प्रतिवादीगण 2 व 3 के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा करते है प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है वादी वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 1 उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा करे यह उचित प्रतीत नहीं होता है अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं मौजा बोरवाली मादड़ी पटवार हल्का कमोल तहसील गोगुन्दा की आराजी नम्बर 1542 रकबा 0.0100 एवं 2208 रकबा 0.0800 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने बाबत प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर